(150)

COURT FEE 20 RS. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र ग्वालियर

प्रकरण कं. /2014 निगरानी निग. 1879-I-14

रमेशचन्द्र पिता श्री वल्लभ महाजन
निवासी ग्राम भंवरासा तह. सोनकच्छ
जिला देवास..................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

पुष्पा पति रमेशचन्द्र मुंदडा
निवासी ग्राम भंवरासा तह सोनकच्छ
जिला देवास...............रेस्पांडेन्टगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य।

यह कि ग्राम भंवरासा तहसील सोनकच्छ स्थित प्रशनाधीन भूमि सर्वे कं. 542/1 रकबा 1.118 हेक्टर, 542/2 रकबा 0.627 हेक्टर, 547/1 रकबा 1.170 कुल रकबा 2.915 हेक्टर आवेदिका के पिता वल्लभ महाजन के भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । आवेदिका के पिता की मृत्यु उपरांत दिनांक 24–4–99 को प्रशनधीन भूमि आवेदिका के नाम से नामांतरण हुई। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा भंवरासा तहसील सोनकच्छ को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के पिता वल्लभ महाजन द्वारा उन्हें गोद लिय गया था, और वल्लभ महाजन द्वारा उसके पक्ष में उक्त प्रशनाधीन भूमियों पर आवेदिका का नामांतरण हो गया है जबकि प्रशनाधीन भूमियों पर पूर्व से ही उसका कब्जा है। अतः वसीयतनामा के आधार पर उसका नामंतरण किया जाये। नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की जाकर दिनांक 28–11–2005 को आदेश पारित कर प्रशनाधीन भूमि पर आवेदिका का नाम कम करते हुए आवेदिका के स्थान पर अनावेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक की और से लगभग 4 वर्ष बाद अधिक्षक भु–अभिलेख देवास के समक्ष अनावेदिका के बिना हस्ताक्षर के एक आवेदन पत्र अंतरर्गत धारा 51 के तहत प्रस्तुत हुआ। उक्त आवेदन के साथ विवादित आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि जो की संहिता कि धारा 48 के तहत प्रस्तुत की जाना आवश्यक थी, वह भी प्रस्तुत नही की गई , और न ही अवधि विधान की धारा 5 या अवधि को कन्डोन करने के लिए कोई आवेदन भी प्रस्तुत नही किया गया और अधिक्षक भु–अभिलेख को उक्त प्रकरण को सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नही होते हुए भी उसके द्वारा कलेक्टर महोदय देवास से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई। इस पर कलेक्टर महोदय जिला देवास के प्रकरण कं. 01/पुनर्विलोकन/2013,14 मे विधी विरूद्ध निगरानीकर्ता के द्वारा उनके समक्ष उठाई गई आपत्तियो का निराकरण किए बिना विवादीत आदेश ता. 5–5–14 पारित किया गया। जिससे अस्तुंष्ट हो करक उक्त निगरानी प्रस्तुत है।

खेमचंद / 3551
R 1879-E/14 देलास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.11.2017	आवेदक की ओर से श्री एन०एल० सिसौदिया ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.